न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— हरभान मीणा आर.ए.एस.

अपील स. 124/2012/75 एलआर एक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. धन्नासिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी टिब्बी दिनांक 06.02.2012

प्रकरण सं0 13/2011 अनवानी धन्नासिंह बनाम स्टेट

उपस्थित :—

1. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. ओमप्रकाश भाटीवाल अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिंनाक : 10.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 9 केएचआर के प.न. 221/217 कि.न. 21 प.न. 220/217 कि.न. 24, 25, प.न. 220/218 कि.न. 4, 5, प.न. 221/218 कि.न. 1 ता 3, 8 की कुल 2.163 है0 भूमि की खातेदारी दिये जाने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 के उक्त आवेदन पत्र के आधार पर रिपोर्ट तहसील प्राप्त होने के उपरांत उक्त भूमि का रेस्पो0 के ह कमे अपीलाधीन आदेश के जरिये खातेदारी सनद जारी करने तथा राष्ट्रपति भारत सरकार के शब्द को कलमजन किये जाने के आदेश जारी कर खातेदारी प्रदान किये गये है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

Web Copy - Not Official

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी अपील में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय का विधिक प्रावधानो के विपरीत है। रेस्पो.ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रश्नगत भूमि खातदेारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि से संबंधित आवंटन आदेश ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया तथा मूल आवंटन पत्रावली तलब किये बिना ही प्रश्नगत भूमि का किसी सूरत मे खातेदारी नही दी जा सकती थी। प्रश्नगत भूमि का खातेदारी करने से पूर्व मूल आंवटी द्वारा आवंटन की अगर कोई राशि बकाया थी तो खजाना राज मे जमा करवाई गई या नही इस तथ्य हेतु विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जानी आवश्यक थी परन्तु मूल आवंटन पत्रावली तलब किये बिना ही अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि के कब्जा काश्त बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नही हुऐ थे एवं कब्जे की बिना जांच किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो बहाल रहने योग्य नही है। राजकीय अभिभाषक द्वारा अन्त में अपनी अपील को विलम्ब को माफ कर मियाद में शुमार करने का निवेदन किया व कथन किया कि इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से विधि अनुसार प्रस्तुत किया हुआ है इसलिये अपील को विलम्ब को क्षमा दान कर अपील मियाद शुमार की जाकर, अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील के तथ्यो का विरोध प्रस्तुत करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में यह कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन

किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा बहस में निवेदन किया कि मियाद के बिन्दु के अतिरिक्त अपील के अन्तर्गत जो भी बिन्दु उठाये गये है वे कतई आधारहीन है रिकार्ड के विपरीत है समस्त रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, नियमन व खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से पूर्व पूर्ण प्रक्रिया की पालना कानून के मुताबिक की गई है। जमाबन्दी में उक्त भूमि कमो बाई बेवा गुलाबसिंह व धन्नसिंह पुत्र गुलाबसिंह अलाटी राष्ट्रपति भारत सरकार के रूप में रिकार्ड में दर्ज है। कमो बाई बेवा गुलाबसिंह फौत हो चुकी है। रेस्पो धन्नसिंह ही आवंटी गुलाबसिंह का एकमात्र वारिसा होने के कारण रेस्पो0 द्वारा उक्त भूमि खातेदारी प्रदान करने का निवेदन किया गया। भूमि की खातेदारी दिये जाने से पूर्व समस्त प्रक्रिया की पालना करते हुए रिपोर्ट लेते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी का अन्य ऐतराज की इसमें रकम पूर्ण जमा थी या नही इसकी रिपोर्ट नही ली गई यह ऐतराज भी विधि सम्मत नही है इस संबध में रिपोर्ट ली गई तथा रकम जमा होने का तथ्य पत्रावली पर आया तत्पश्चात नियमन शुल्क भी जमा करवाया गया इसलिये सरकारी रकम बकाया होने का तथ्य भी अपीलार्थी का सही नही है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अन्तर्गत वसूली योग्य बकाया राशि के संबध में तहसीलदार से रिपोर्ट आदि ली गई पत्रावली में अकिंत तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत भूमि भारत सरकार की निष्क्रांन्त भूमि थी जो कमोबाई बेवा गुलाबसिंह व धन्नसिंह

पुत्र गुलाबसिंह अलॉटी राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि की खातेदारी सनद जारी करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार ने प्रश्नगत भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त होना बताया है तथा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं होना बताया है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का उल्लंघन होना नहीं पाया गया है। पटवारी भू–अभिलेख निरीक्षण एवमं तहसीलदार की रिपोर्ट माह दिसम्बर 2009 से विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना साबित है।

8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.10.09 को निष्क्रांत (कस्टोडियन) कृषि भूमि के निस्तारण एवं पूर्व आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु नियमों के संबंध मे परिपत्र जारी किया गया था, उक्त परिपत्र के अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमे मूल आवंटियों ने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बेचान औपचारिक/अनौपचारिक तरीके से किसी अन्य को कर दिया है और मौका पर मूल आवंटी के बजाय अन्य व्यक्ति काबिज है, तो ऐसे हस्तान्तरण को उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति से सलाह करके नियमन शुल्क एवं शास्ति नियमानुसार जमा करवाने के पश्चात हस्तान्तरण का नियमन किये जाने का प्रावधान किया गया है। हस्तगत प्रकरण मे मूल आवंटी के वारिसान द्वारा विरासतन प्राप्त भूमि की खातेदारी सनद जारी करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके संबंध मे आवंटी गुलाबसिंह व आवंटी की पत्नि कमोबाई का मृत्यु प्रमाण तथा वारिस प्रमाण पत्र पेश किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा खातेदारी हेतु सिफारिश की गई है तथा तहसीलदार आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य सचिव है। नियमन की राशि नियमानुसार जमा करवाई गई है। ऐसी स्थिति राज्य सरकार के परिपत्र के प्रावधानो की पालना करते हुए खातेदारी प्रदान की गई है अर्थात मूल आवंटी के वारिसान को

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा कोई विपरीत तथ्यं अपील के समर्थन मे प्रस्तुत नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों से अपीलांट की अभिकथनो की पुष्टि नही होती है। आक्षेपित निर्णय को अपीलांट विधि विरूद्ध साबित करने मे असफल रहा है। अपीलांट द्वारा यह अपील सारहीन होने के कारण स्वीकार की जानी योग्य नही है। यदि उक्त भूमि के बाबत कोई राजकीय राशि बकाया निकलती है, तो रेस्पोडेंट राजकोष जमा करवाने के लिए पाबंद रहेगें।

9.उक्त विवेचन के अनुसार यह अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2012 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ